

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

C/N. - 219/2022

आदिनांक तक जायज पेश नहीं करने  
के कारण अप्राथमिक न के जायज का  
अवसर बन्द किया जाता है।

वकील पदाकारान कीता-पत्र  
अन्तर्गत धारा 0929 C.P.C. एवं अपाठित  
धारा 151 C.P.C. एवं हापत्र न-रगत  
धारा 5 परिलीना अधिनियम पर बन्द  
हुनी गई।

हमारे द्वारा हापत्र पर उपलब्ध  
दस्तावेजों एवं वकील पदाकारान की  
बन्द पर मनन किया जायेगा  
हापत्र अन्तर्गत धारा 0929 C.P.C. एवं  
अपाठित धारा 151 C.P.C. एवं हापत्र  
अन्तर्गत धारा 5 परिलीना अधिनियम  
का खीकर किया जाकर इस मामला  
के आदेश दि. 27/02/2018 को अपाठित  
किया जाता है। मूल पत्रावली रिकॉर्ड  
रक्त के खलब कि जावे। हापत्र पेशला  
शुक्र दिना नम्बर के मत हो  
मूल पत्रावली दि. 01/9/24  
को पेश हो **A**

अपराध अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

01/9/24  
वकील पदाकारान उप  
वी. श्री. साहब दोरे/अवकाश पर पधारें हैं। अब  
पत्रावली पेश करेगा नम्बर दि. 16/12/24

16/12/24

पत्रावली पेश हुई वकील वकील के  
स्थापक वकील टाक के गुजट ने फेरो फेरो  
मि।

10/2/25

पत्रावली मि. वकील अपाठित, अपाठित पत्रावली पेश की गई।  
13/12/2024 को हापत्र मय जायज के अंतः अपाठित पत्रावली  
वाकिले संलग्न मय हापत्र पेश करेगा नम्बर दि. 16/12/24  
कम ही

अपराध अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)